न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—49 / 2012 / 223 (2012 / 00049)

1. गंगादेवी पत्नि हरिराम,
2. प्रेमप्रकाश पुत्र हरिराम,
3. गोविन्दराम पुत्र ओमप्रकाश (मृतक) पौत्र हरिराम,
4. कमलादेवी पत्नि ओमप्रकाश,

समस्त जाति रेगर, निवासी ग्राम लोरडी, तह0 मसूदा, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. बालू पुत्र उरजा,
2. लक्ष्मण पुत्र उरजा,
3. देवीलाल पुत्र नानु,

समस्त जाति रेगर, निवासीगण लोरडी, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 30.11.2002 अंतर्गत वाद संख्या 144 / 2002.

उपस्थितः—

1. श्री राघवेन्द्रसिंह राणावत, वकील अपीलांटस।
2. रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित ।
3. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की तलबी बंद ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4.

निर्णय

दिनांकः— 17.7.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2002 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस के पिता / पति / दादा एवं रेस्पो0 संख्या 3 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पेश कर निवेदन किया कि वर्ष 1980—81 संवत् 2037 के अनुसार राजस्व ग्राम लोरडी की कृषि भूमि खाता संख्या 246 के खसरा संख्या 734 साबिक 1144 हाल रकबा 7—18—10 बीघा, खसरा संख्या 735 साबिक 1145 हाल रकबा 13—17—00 बीधा किस्म बारानी भूमि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को आवंटित जहोकर नायब तहसीलदार, बिजयनगर द्वारा नामांतकरण संख्या 148 दिनांक 12.12.1980 से उन्हें खातेदारी प्राप्त हो गयी थी परन्तु इसका अंकन जमाबंदी में प्रत्यर्थीगण के नाम दुरूस्त नहीं हुआ

तथा बाद में भू–प्रबंध के दौरान बनाई गई जमाबंदी में भी राजस्व कर्मचापरियों द्वारा प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम का अंकन नही कर विवादित भूमियों की किस्म चारागाह खातेदार सरकार दर्ज कर दी गई । इसी दौरान उक्त अभिलिखित काश्तकारों द्वारा दिनांक 7.1.1981 को प्रतिफल प्राप्त कर एक विक्रय पत्र अपीलांटस एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 के पक्ष में निष्पादित कर उप पंजीयक, बिजयनगर के समक्ष पंजीकृत करवाया गया है । उक्त विक्रय पत्र के आधार पर क्रेतागण अपने नाम नामांतकरण स्वीकृत करवाते इससे पूर्व ही भू–संशोधन को मान्यता नहीं दिये जाने से उक्त भूमियां अपीलांट के नाम अंकित होने के बजाय बाद में किस्म चारागाह दर्ज कर सरकार के नाम अंकित कर दी गई है जो निरन्तर जारी है । अतः वाद स्वीकार कर अपीलांटस एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2002 द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट संख्या 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित तथा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की तलबी बंद की गई । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 3 ने विवादित आराजियात मूल्यावान प्रतिफल देकर क्रय की तथा कब्जा वादीगण को प्रदान किया गया था इसी कारण पंजीयन अधिकारी ने विवादित भूमि का पंजीयन पंजीबद्ध किया है । राजस्व नियमों के अनुसार मात्र जमाबंदी में अंकन नहीं होने से किसी के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है । बहस में आगे कथन किया कि नायब तहसीलदार, बिजयनगर द्वारा नामांतकरण संख्या 148 दिनांक 12.12.1980 को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के के नाम खातेदारी अंकन हेतु आदेश प्रदान कर दिये थे परन्तु फिर भी इसका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं किया गया । अपीलांटस के पक्ष में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा निष्पनादित विक्रय पत्र सहअधिकार किया गया था । भूमि विधिक प्रावधान के अनुसरण में क्रेतागण के नाम अंकित की जानी चाहिये थी परन्तु भू–संशोधन को मान्यता नहीं मिलने तथा बाद में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण चारागाह दर्ज कर दी गई तथा अधी0न्याया0 ने भी वाद को विवादित भूमि चारागाह मानकर तथा वादीगण को अतिक्रमी मानकर खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण ने पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया था जिन्होंने वादीगण को प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में नहीं आने बाबत् कह कर आवश्यकता होने पर बुलवा लेने हेतु आश्वस्त कर रखा था । वादी संख्या 2 ही अधिवक्ता से मिलता था किन्तु वादी संख्या 2 व अधिवक्ता ने निर्णय के संबंध में अपीलांटस को सूचित नहीं किया । अधी0न्याया0 के निर्णय सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 3.1.2012 को पक्षकारान में विवाद होने पर वादी संख्या 2 द्वारा जानकारी दी गई कि वाद 8–9 वर्ष पूर्व ही खारिज हो चुका है तब अपीलांटस ने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तथा अधी0न्याया0 के निर्णय की प्रमाणित प्रतियों हेतु आवेदन किया तथा प्रतियां प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है ।

अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में चारागाह के रूप में दर्ज है तथा नियमों में ऐसी भूमियों की खातेदारी दिया जाना प्रतिबंधित है । विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें अपीलांटस एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु तीन तनकियात कायम की है । विवादित आराजियात अपीलांटस ने रेस्पो0 संख्या 1 व 2 से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के क्रय की है किन्तु विवादित भूमियां कभी भी अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 3 के विक्रेतागण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं रही है । अपीलांटस के विक्रेतागण का विवादित भूमियों पर कब्जा काश्त मात्र अतिक्रमी की हैसियत से दर्ज रहा है जो भी निरन्तर नहीं होना पाया गया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमियां प्रारंभ से राजस्व रिकार्ड में चारागाह के रूप में दर्ज है । वादीगण ने अपने कब्जे काश्त के संबंध विवादित भूमियों के लगान अदा करने की रसीदें भी पेश नहीं की है । अपीलांटस के विक्रेता विवादित भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से ही काबिज रहे है जिन्हें भी धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत अतिचारी मानकर बेदखल किया गया है । अपीलांटस/वादीगण क्रय दिनांक तक विक्रेतागण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की वैधानिकता दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । वैसे भी चारागाह भूमि की खातेदारी दिया जाना नियमों प्रतिबंधित होकर ऐसी भूमियों की खातेदारी नहीं दी जा सकती है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तनकियात का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है ।

9. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस निरस्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2002 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 17.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर